# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 99 / 2018

श्री रामदेव पुत्र श्री हरदेव, जाति जाट, निवासी ग्राम दौलतपुरा–प्रथम, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर

.....**रेस्पोडेन्ट**

**अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

———

**उपस्थित :–**

1. श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

## –: आदेश :–

**दिनांक–13.05.2022**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2075 में श्री रामदेव पुत्र श्री हरदेव, जाति जाट, निवासी ग्राम दौलतपुरा–प्रथम, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ने ग्राम दौलतपुरा–प्रथम के आराजी क्रमशः खसरा नम्बर 23 व 24 रकबा 01–01–00 व 03–06–00 बीघा किस्म बा0 3, बा0 3 में से क्रमशः रकबा 00–11–00 व 01–11–00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ कर व ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 164 / 2018 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 18.09.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की जाकर खड़ी फसल को जब्त सरकार कर नीलामी के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 18.09.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि पटवारी हल्का ने भौतिक स्थिति व राजस्व रेकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किये बिना केवल अपीलान्ट को आर्थिक,

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

मानसिक, सामाजिक क्षति पहुंचाने की गरज से षड़यंत्र पूर्वक रिपोर्ट तैयार की है जिस पर दिनांक 06.09.2018 को प्रकरण दर्ज कर तलबी हेतु दिनांक 18.09.2018 नियत करते हुए उसी दिन अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सुनवाई व जवाब का अवसर प्रदान किये आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के बयान जिरह एवं स्वतंत्र गवाह के बयान लिये बिना तथा इस बाबत अपने निर्णय में कहीं विवेचन नहीं किया गया एवं स्वविवेक को मध्यनजर रखे बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की गई है। उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिससे सिद्ध हो कि उक्त नया अतिक्रमण अपीलान्ट ने किया हो। इस सम्बन्ध में न तो अन्य व्यक्ति विशेष अथवा स्वतंत्र साक्ष्य ली गई एवं न ही आस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा सिद्ध करवाया गया। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का काफी वर्षों से पशुओं का बाड़ा व निवास का स्थान है जो आबादी के रूप में काबिज शुदा आराजी है। ग्राम के अधिकांश लोगों के पास आबादी भूमि व पट्टाशुदा आराजी नहीं होने से राजस्थान सरकार के परिपत्रों के अनुसार नियमित किया जाना था किन्तु राजनैतिक द्वेषता के कारण शिकायत के आधार पर व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में राजस्व वाद रामदेव बनाम राजस्थान सरकार अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है। प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन रहते हुए भी पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की व्यक्तिगत छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक एवं मानसिक हानि पहुंचाने की नीयत से षड़यंत्रपूर्वक उक्त कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड आदेश पारित किया गया है एवं आदेश पारित करने के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक, सकारात्मक व विधिसम्मत कारण एवं निष्कर्ष का अंकन नहीं किया गया है। अत्यन्त संक्षिप्त आदेश द्वारा रूटिन प्रक्रिया के तहत न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया गया है। किसी भी प्रकरण को इस प्रकार न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना एवं स्वीकार व अस्वीकार करने का युक्तियुक्त कारण अंकित किये बिना आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रक्रिया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्लेष्णात्मक विवेचन करते हुए स्पष्ट रूप से कारण अंकित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था। इस सम्बन्ध में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 (2) 2016 पेज 1147 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया, जिसके अनुसार **Code of Civil Procedure, 1908 - Order 6, Rule 17 - Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Sec. 251-A-Amendment in application allowed** - Order passed is a non-speaking order-No reasons assigned while allowing the application-Held, order set aside & case remanded to pass a reasoned order. उक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या 4 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित व तर्क सहित होना चाहिये, अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये तथा निर्णय/आदेश स्पीकिंग होने चाहिये, साथ ही विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 4 व 5 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश व निर्णय पारित करना आज्ञापक है।" इस

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

कार आक्षेपीय आदेश सकारण आदेश नहीं होने से उक्त विधिक प्रास्थिति के स्पष्टतः प्रतिकूल है। अन्त में उन्होने कथन किया कि तहसीलदार बिजयनगर द्वारा विवादित आराजी का भौतिक सत्यापन करवाकर आक्षेपीय आदेश पारित किया जाना चाहिये था लेकिन उन्होने ऐसा नहीं कर आक्षेपीय आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होकर किस्म बारानी 3 के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा सिवायचक आराजी पर अनाधिकृत रूप से बाड़ कर व ज्वार की फसल काश्त कर अवैधानिक रूप से अतिचार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर अवैध रूप से बाड़ कर व ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। प्रश्नगत आराजी राजस्व रेकॉर्ड अनुसार किस्म बारानी 3 (सिवायचक) दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है एवं वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर